



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1510 /अका./का.प/2025

रायपुर, दिनांक 13 /08/2025

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '99वाँ' बैठक बुधवार दिनांक 13.08.2025 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष

- | | | | |
|--------------------------|---------|--|---------|
| 1. श्री पुरन्दर मिश्रा | – सदस्य | 7. डॉ. (श्रीमती) राधा पाण्डेय | – सदस्य |
| 2. श्री मोतीलाल साहू | – सदस्य | 8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट | – सदस्य |
| 3. डॉ. निनाद बोधनकर | – सदस्य | 9. श्री उत्कल शर्मा, सचिव, वित्त | – सदस्य |
| 4. डॉ. अशोक कुमार प्रधान | – सदस्य | 10. श्री कमलेश ठोकने | – सदस्य |
| 5. डॉ. कल्लोल कुमार घोष | – सदस्य | 11. श्री प्रकाश चंद्र चोपड़ा | – सदस्य |
| 6. डॉ. मेघेश तिवारी | – सदस्य | 12. डॉ. विजयानंद सिंह (ऑनलाईन उपस्थित) | – सदस्य |

प्रो. अम्बर व्यास, कुलसचिव – सचिव

अनुपस्थित सदस्य- श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री रोहित साहू, डॉ. गिरीश चंदेल, प्रो. मधुश्री शेखर, डॉ. मनोज कुमार मिश्रा

कार्यवृत्त

- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2025 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

- सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2025 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 40,27,000.00 (रुपए चालीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 82 महाविद्यालयों को सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2025 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 40,27,000.00 (रुपए चालीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) का भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

- वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक का संपरीक्षा प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करने पर विचार करना।

टीप: वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक का छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा से प्राप्त संपरीक्षा प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार सूचना ग्रहण की गई।

4. डॉ. व्यास दुबे, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर पदस्थापना नियुक्ति तिथि 15.03.1988 के 37 वर्ष के सेवाकाल के उपरांत दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 42,83,142.00 (रुपए बयालीस लाख तिरासी हजार एक सौ बयालीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: डॉ. व्यास दुबे, प्रोफेसर, सांख्यिकी अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 42,83,142.00 (रुपए बयालीस लाख तिरासी हजार एक सौ बयालीस मात्र) का भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

5. डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता से मकान निर्माण करने हेतु आंशिक विकर्षण (Part final) राशि रु. 13,00,000.00 (रुपए तेरह लाख मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता से मकान निर्माण करने हेतु आंशिक विकर्षण (Part final) राशि रु. 13,00,000.00 (रुपए तेरह लाख मात्र) भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

6. डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं तत्कालीन कुलपति को कुलपति पद के कार्यकाल का सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन एरियर्स राशि रु. 11,15,640.00 (रुपए ग्यारह लाख पंद्रह हजार छः सौ चालीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.06.2025 के विषय क्रमांक 03 में लिए गए निर्णयानुसार डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कुलपति को छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 2-1/18/38-1 अटल नगर दिनांक 26.09.2018 के माध्यम से छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से 01.04.2018 तक (कुलपति पद के कार्यकाल का) वेतन निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 1902/स्था./सा.प्रशा./2025 रायपुर दिनांक 02.07.2025 के माध्यम से डॉ. शिव कुमार पाण्डेय का कुलपति पद के वेतन का छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में पुनरीक्षण किया गया है।

डॉ. शिव कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कुलपति के छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से 01.04.2018 तक (कुलपति पद के कार्यकाल का) वेतन निर्धारण उपरांत गणना पत्रक अनुसार राशि रु. 11,15,640.00 (रुपए ग्यारह लाख पंद्रह हजार छः सौ चालीस मात्र) एरियर्स राशि भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सकल एरियर्स राशि पर 30 प्रतिशत आयकर की कटौती नियमानुसार की जावेगी।

डॉ. शिव कुमार पाण्डेय तत्कालीन कुलपति को कुलपति पद के कार्यकाल अवधि दिनांक 01.01.2016 से 01.04.2018 तक छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार वेतन एरियर्स रु. 11,15,640.00 (रुपए ग्यारह लाख पंद्रह हजार छः सौ चालीस मात्र) भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

7. डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) दिनांक 04.02.2025 को सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 70,63,013.00 (रुपए सत्तर लाख तिरसठ हजार तेरह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) के सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 70,63,013.00 (रुपए सत्तर लाख तिरसठ हजार तेरह मात्र) का भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

8. श्री विनोद कुमार एक्का, कुलसचिव के द्वितीय समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि रु. 5,84,394/— (रुपए पाँच लाख चौरासी हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1602/स्था./सा.प्रशा./2025 रायपुर, दिनांक 23.05.2025 के द्वारा श्री विनोद कुमार एक्का, कुलसचिव के द्वितीय समयमान वेतनमान का वेतन निर्धारण छ.ग. राज्य संपरीक्षा, अटल नगर, नवा रायपुर से अंतिम रूप से पारित होने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है।

तदनुसार श्री विनोद कुमार एक्का, कुलसचिव के द्वितीय समयमान वेतनमान के एरियर्स भुगतान छठवें वेतनमान में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अवधि दिनांक 01.07.2011 से 31.12.2015 तक एवं सातवें वेतनमान में 01.01.2016 से 14.03.2016 तक का एरियर्स राशि का गणना पत्रक संबंधित की सेवा पुस्तिका एवं अभिलेख से परीक्षण कर तैयार किया गया है।

श्री विनोद कुमार एक्का, कुलसचिव के छ.ग. वेतन पुनरीक्षण 2009 (छठवें वेतनमान) में वेतन निर्धारण तिथि 01.07.2011 से 31.12.2015 तक द्वितीय समयमान वेतनमान की एरियर्स की सकल राशि रु. 5,44,742/— एवं छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवें वेतनमान) में 01.01.2016 से 14.03.2016 तक का एरियर्स की सकल राशि रु. 39,652/— कुल एरियर्स की सकल राशि रु. 5,84,394/— (रुपए पाँच लाख चौरासी हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) की भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

9. श्री अंतराम चौरे, उपकुलसचिव, उपाधि एवं नामांकन विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर पदस्थापना नियुक्ति तिथि 04.10.1983 से 42 वर्ष के सेवाकाल के उपरांत दिनांक 31.07.2025 को सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 5,08,937.00 (रुपए पाँच लाख आठ हजार नौ सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: श्री अंतराम चौरे, उपकुलसचिव, उपाधि एवं नामांकन विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रुपए 5,08,937.00 (रुपए पाँच लाख आठ हजार नौ सौ सैंतीस मात्र) का भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।



10. श्री अंतराम चौरे, उपकुलसचिव, उपाधि एवं नामांकन विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अर्जित अवकाश नदीकरण रु. 11,67,696/- (रुपए ग्यारह लाख सड़सठ हजार छः सौ छियानबे मात्र) भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 1740/सा.प्रशा./2025 दिनांक 16.06.2025 के द्वारा श्री अंतराम चौरे, उपकुलसचिव दिनांक 31.07.2025 को अधिवार्षिकी आयु पूर्णकर विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री अंतराम चौरे को नियमानुसार 240 दिनों का अर्जित अवकाश नगदीकरण अंतिम वेतन के आधार पर की गई गणना पत्रक के अनुसार राशि रु. 11,67,696/- (रुपए ग्यारह लाख सड़सठ हजार छः सौ छियानबे मात्र) का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार श्री अंतराम चौरे, उपकुलसचिव को 240 दिनों का अर्जित अवकाश नगदीकरण की राशि गणना पत्रक के अनुसार राशि रु. 11,67,696/- (रुपए ग्यारह लाख सड़सठ हजार छः सौ छियानबे मात्र) की भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

11. राज्य शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 18/2025, आदेश क्रमांक 310/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 14.05.2025 के अनुसार राज्य शासन के पेंशनरों की महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरों 01.03.2025 से सातवां वेतनमान में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत से बढ़ाकर 246 प्रतिशत किए जाने संबंधी वित्त निर्देश को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

टीप: छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 18/2025, आदेश क्रमांक 310/एफ 2013-04-00416/वित्त/नियम/चार, दिनांक 14.05.2025 के अनुसार राज्य शासन के पेंशनरों की महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरों 01.03.2025 से सातवां वेतनमान में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत से बढ़ाकर 246 प्रतिशत किए जाने हेतु निम्नानुसार वृद्धि किया गया है :-

वेतनमान	अवधिय जब से देय है	महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
सातवाँ वेतनमान	01.03.2025	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 3%	53%
छठवाँ वेतनमान	01.03.2025	मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 7%	246%

उक्त वित्त निर्देश को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार वित्त निर्देश को अंगीकृत करते हुए सूचना ग्रहण की गई।

12. Innovation and Incubation Center (I&IC) हेतु उपकरण क्रय राशि रु. 24,97,800.00 (रुपए चौबीस लाख संत्यानबे हजार आठ सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में नवीन मद के अन्तर्गत स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च तथा अपग्रेडेशन ऑफ सेन्ट्रल इंस्ट्रुमेन्टेशन फेसिलिटी हेतु राशि रु. 200.00 लाख प्रावधानित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन द्वारा 100.00 लाख की विमुक्ति कर राशि रु. 50.00 लाख के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त राशि को व्ययोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर शेष राशि रु. 50.00 लाख की क्रय की स्वीकृति तथा शेष राशि रु. 100.00 लाख का भी विमुक्ति एवं क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति भेजा जायेगा। नवीन मद का बजट दो वर्ष तक वैध रहता है उसके विमुक्ति न होने पर व्यपगत हो जाता है।

उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कुल राशि रु. 24,97,800.00 (रुपए चौबीस लाख संत्यानबे हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान माननीय कार्यपरिषद् की अनुमोदन के प्रत्याशा

में किया गया है। (Bill Amount Rs. 1,00,000.00+9,25,000.00+1089,000.00= 24,97,800.00)

अतः प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल Utilization Certificate प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. केंद्रीय क्रय समिति के पुनर्गठन के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित विनियम क्रमांक 108 के भाग-4 के (ब) में केंद्रीय क्रय समिति के गठन किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार केंद्रीय क्रय समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे।

1. कुलसचिव
2. कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य
3. वरिष्ठ प्राध्यापक
4. वित्ताधिकारी या उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव वित्त
5. उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव विकास एवं भण्डार
6. संबंधित विभागाध्यक्ष

वर्तमान में कार्यरत क्रमांक-2 एवं 3 के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनके स्थान पर 01 वर्ष के लिए नए सदस्यों को नामित करते हुए केन्द्रीय क्रय समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है।

1. कुलसचिव
2. कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य
3. वरिष्ठ प्राध्यापक
4. वित्ताधिकारी या उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव वित्त
5. उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव विकास एवं भण्डार
6. संबंधित विभागाध्यक्ष

उपर्युक्तानुसार केंद्रीय क्रय समिति में क्रमांक 2 एवं 3 में सदस्य मनोनीत करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: केन्द्रीय क्रय समिति में निम्नानुसार दो सदस्यों का नामांकन किया गया –

- (1) कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य – प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
- (2) वरिष्ठ प्राध्यापक – प्रो. एस.जे. डहरवाल, संचालक, फार्मेसी संस्थान

NCNR से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. सी.आई.एफ. (NCNR) विभाग में शोध कार्य के Sample Analysis की दर निर्धारण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : सी.आई.एफ. (NCNR) विभाग में सत्र 2015-16 में गठित समिति द्वारा शोध कार्य के Sample Analysis हेतु दर निर्धारण किया गया था। चूंकि प्रतिवर्ष विभिन्न अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों में विभिन्न प्रकार के रसायनों एवं Sample Analysis का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु विभिन्न प्रकार की मानक एवं रसायनों की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ष Sample Analysis में उपयोग होने वाले रसायनों की दरों में बढ़ोत्तरी हो रही है जिससे उपकरणों की सुरक्षित संचालन एवं मेंटेनेंस में समस्या होती है। रसायनों की दरों में निरन्तर वृद्धि के कारण Sample Analysis की दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। Sample Analysis के दर

निर्धारण हेतु गठित समिति की अनुशंसा संलग्न है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

रसायन शास्त्र अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. कंसल्टेंसी रेगुलेशन 170 के अंतर्गत रूटीन टेस्टिंग (Chemical/Instrumental Sample Analysis) फीस हेतु विश्वविद्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 831/अका./2025 दिनांक 29.04.2025 में टेस्टिंग Charges में संशोधन के संबंध में विचार करना।

टीप : स्टाफ कौंसिल की 85 वाँ बैठक में विश्वविद्यालय के रेगुलेशन क्रमांक 170 (कंसल्टेंसी) में उल्लेखित रूटीन टेस्टिंग प्रोजेक्ट: कंडिका नं. 4 के तहत निम्नानुसार रूटीन केमिकल एनालिसिस चार्ज तथा इनसे जुड़ी हुई शर्तें (Terms and Conditions) से संबंधित विश्वविद्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 831/अका./2025 दिनांक 29.04.2025 में Testing Charges में संशोधन सर्वसम्मति से पारित कर सक्षम स्वीकृति हेतु निम्नानुसार निर्मित (formulate) की गई है -

Decision of staff council

Under the University Consultancy Regulations, the Staff Council, on its meeting on 85th meeting on 10 June 2025 unanimously agreed to revise the chemical analysis/routine testing charges for selected samples under the research consultancy regulation 170 and also decided to submit the same revised proposal to the Universal for Approval. These revisions have been made due to surging cost of ultrapure gases:

1. In the Chemical analysis testing charges table, Point No.-04 (OC/EC analysis), the cost of OC & EC analysis for educational/research institute is revised from Rs. 750/- per sample to Rs. 1200/- per sample. On including the Carbonate-Carbon along with OC and EC, the charges will be Rs. 1700/- per sample
2. In the Chemical analysis testing charges table, Point No.-05 (C,H,S,N,O analysis), The remark column should be addressed as, "The charges specified are for C,H,S,N only. For Oxygen (O) analysis, extra charges will be Rs. 1000/- per sample (for industries) and Rs. 750/- per sample (For educational/research institute)
3. In the Chemical analysis testing charges table, Point No.-27 (Water analysis), 28 (Food samples & 29 (Soil samples), The remark column should be addressed as, "ions and heavy metal charges will be applicable as per Ion chromatography and AAS charges/species. Digestion of samples will be charges will be Rs. 400/sample
4. In the Chemical analysis testing charges table, Point No.-34 [Research Project (consultancy charges for UG/PG/Ph.D. students/industry personnel/month), the remark column should be addressed as, "Two weeks internship program for UG/PG students charges will be Rs. 5000/- per student.

निर्णय: प्रस्तावानुसार संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।

भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला के लिए Shimadzu Make Analytical Balance (Model-AUW220D) -02 नग, विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2025-26 में Equipment for Lab including New department मद में स्वीकृत राशि में से क्रय किये जाने हेतु कुल रु. 5,15,070/- (रुपए पाँच लाख पन्द्रह हजार सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला में विभिन्न लैब से संबंधित रिसर्च कार्यों के लिये Shimadzu Make Analytical Balance (Model- AUW220D) -02 नग का क्रय विश्वविद्यालय में हुए Rate Contract (पत्र क्र. 35/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 16.01.2025) के अंतर्गत किया जाना है। जिसकी कीमत राशि रु. 2,25,000/- (रुपए दो लाख पच्चीस हजार मात्र) प्रति नग है। विभाग को कुल दो नग Analytical Balance का क्रय राशि रु. 5,15,070/-

(रुपए पाँच लाख पन्द्रह हजार सत्तर मात्र) (with discount & GST) के व्यय पर M/s Kasliwal Brothers, Raipur से किया जाना है। जो कि विश्वविद्यालय बजट वर्ष 2025-26 में Equipment for Lab including New department मद में स्वीकृत राशि से किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

सेंटर ऑफ इण्डियन नॉलेज सेन्टर से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. सेंटर ऑफ इण्डियन नॉलेज सेन्टर के लिये इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार मात्र) की स्वीकृति पर विचार करना।

टीप: पत्र क्रमांक 3082/स्था./सा.प्रशा./2024 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय में "Centre for Indian Knowledge System" की स्थापना की गई है। सत्र 2025-26 से केन्द्र द्वारा अनेक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है। केन्द्र के सुचारु रूप से संचालन के लिये इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000.00 (रुपए दस हजार मात्र) की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

फार्मैसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. Assessment and Accreditation Fees की शेष राशि एवं Logistic Fee (जी.एस.टी. सहित) की अग्रिम राशि रुपए 8,55,500.00 (रुपए आठ लाख पचपन हजार पाँच सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : SSR report Submit करने के पूर्व NAAC द्वारा निर्धारित शुल्क 6,00,000.00 + GST 18% का 50 प्रतिशत राशि रु. 3,00,000.00 + GST 18% का भुगतान किया गया है।

इस प्रकार शेष 50 प्रतिशत Assessment and Accreditation Fees Rs. 3,54,000.00 एवं Logistic Fee Rs. 5,01,500.00 कुल राशि रु. 8,55,500.00 नैक को Online भुगतान करने हेतु डॉ. संजय डहरवाल, विभागाध्यक्ष फार्मैसी संस्थान, को अग्रिम राशि रुपए 8,55,500.00 (रुपए आठ लाख पचपन हजार पाँच सौ मात्र) प्रदाय किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

19. विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति में दो नए सदस्यों के मनोनयन के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति के सदस्यों की कार्यवधि 01/07/2025 को समाप्त हो गई है।

परिनियम 2-1(iv) के तहत विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति में कार्यपरिषद् के द्वारा दो नए सदस्यों का मनोनयन किया जाना है।

क्रीड़ा समिति के सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 01/07/2025 से 01/07/2028 तक आगामी तीन वर्षों के लिए किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: विश्वविद्यालय की क्रीड़ा समिति में निम्नानुसार दो नए सदस्यों के मनोनयन किये जाने का अनुमोदन किया गया -

- (1) श्रीमती नीता डुमरे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी
- (2) श्री संजय शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक शरीर सौष्ठव

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 08, 11, 14, 15, 16, 18 एवं अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय क्र. 01 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक रूप से भी चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी पृथक अभिमत उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

फार्मसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. फार्मसी संस्थान में डॉ. राकेश तिर्की को IBITF से स्वीकृत रिसर्च प्रोजेक्ट "Development of Cost analysis based tools for enhancing the accessibility of medicine in tribal population of Chhattisgarh" में कार्यरत JRF/Project fellow एवं Field assistants की दिसंबर 2024 से जून 2025 तक की फेलोशिप राशि रु. 5,87,084.00 (रुपए पाँच लाख सत्तासी हजार चौरासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2025 के कार्य संपादन हेतु केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई को अग्रिम राशि रु. 55,80,735/- (रुपए पचपन लाख अस्सी हजार सात सौ पैंतीस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

4. अंकेक्षण शुल्क सत्र 2012-13, 2014-15 एवं 2020-21 से 2023-24 तक (कुल 06 वर्ष) का कुल राशि रु. 1,46,43,257/- (रुपए एक करोड़ छियालीस लाख तिरालीस हजार दो सौ संतावन मात्र) का भुगतान A. General Administration 8 Audit Fees में प्रावधानित राशि रु. 30.00 लाख एवं शेष राशि रुपए 1,16,43,257/- (रुपए एक करोड़ सोलह लाख तिरालीस हजार दो सौ संतावन मात्र) A. General Administration 28 E-Governance में प्रावधानित राशि रु. 200.00 लाख में से भुगतान (संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा रायपुर-1 को) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

फोरेसिक साइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. फोरेसिक साइंस अध्ययनशाला में इम्प्रेस्ट राशि रु. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय में फोरेसिक साइंस अध्ययनशाला प्रारंभ किया गया है। उक्त विभाग के सुचारु संचालन तथा आकस्मिक व्यय हेतु विनियम 108 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राशि रु. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र) विभागीय इम्प्रेस्ट स्वीकृत किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।



विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. विश्वविद्यालय में कार्यरत M/s New Bharat Security & Detective Services, Nagpur को माह जून 2025 के लिये श्रमिक लगाये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय में कार्यरत M/s New Bharat Security & Detective Services, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur को नैक टीम के आगमन के संदर्भ में गिरे हुए पेड़ों को कटाई एवं छटाई, लकड़ियों को शिफ्टिंग तथा बगीचे के रख-रखाव के कार्य कराये जाने हेतु 45 अकुशल श्रमिक कलेक्टर दर पर माह जून 2025 के लिये लगाये जाने हेतु पत्र क्रमांक 425B/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 13/06/2025 के द्वारा आदेशित किया गया है।

उक्त कार्य हेतु दर कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/474/सविलि-2/2025, रायपुर, दिनांक 21/04/2025 के अनुसार है। अतः कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

7. विश्वविद्यालय में कार्यरत M/s New Bharat Security & Detective Services, Nagpur को माह जुलाई 2025 के लिये श्रमिक लगाये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय में कार्यरत M/s New Bharat Security & Detective Services, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur को नैक टीम के आगमन के संदर्भ में गिरे हुए पेड़ों को कटाई एवं छटाई, लकड़ियों को शिफ्टिंग तथा बायोगैस प्लांट एवं ETP Plant तक अस्थायी एप्रोच रोड हेतु मलबा शिफ्टिंग, फर्नीचर शिफ्टिंग एवं परिसर में समस्त रोड़ों के दोनों तरफ खरपतवार की सफाई-कटाई कार्य तथा परिसर में आवश्यकतानुसार अन्य कार्य हेतु 45 अकुशल श्रमिक कलेक्टर दर पर माह जुलाई 2025 के लिये लगाये जाने हेतु पत्र क्रमांक 453A/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 09/07/2025 के द्वारा आदेशित किया गया है।

उक्त कार्य हेतु दर कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/474/सविलि-2/2025, रायपुर, दिनांक 21/04/2025 के अनुसार है। अतः कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. छात्र सुविधा एवं परिसर स्थित मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय के छात्र-सदन के बगल में स्थित जमीन पर नगर निगम द्वारा CSR के अंतर्गत Smart Toilet निर्मित किए जाने के लिए महापौर, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 15/महापौर/2025 दिनांक 21.07.2025 के संबंध में विचार करना।

निर्णय: कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय स्थित माँ बंजारी मंदिर के निकट महापौर, नगर निगम रायपुर के Smart Toilet निर्माण हेतु प्रेषित आग्रह पत्र पर विचार किया गया। कार्यपरिषद् द्वारा विचारोपरान्त निम्नांकित शर्तों के साथ नगर निगम द्वारा कराए जाने वाले उक्त निर्माण कार्य पर अनुमति प्रदान की गई -

- (1) नगर निगम के उक्त निर्माण हेतु विश्वविद्यालय की Land Ownership परिवर्तित नहीं होगी।
- (2) नगर निगम द्वारा निर्मित Smart Toilet की सुरक्षा, रख-रखाव एवं संरक्षण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी।
- (3) निर्माण कार्य PWD के निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाएगा।
- (4) इस सम्बन्ध में स्पष्टतायुक्त MoU विश्वविद्यालय एवं नगर निगम रायपुर के मध्य हस्ताक्षरित किया जाएगा।



सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15-B के क्रम में रेक्टर की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार करना।
निर्णय: कार्यपरिषद् द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15-B के क्रम में रेक्टर की नियुक्ति हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया। नियुक्ति उपरान्त कार्यपरिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।
10. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 'विश्वविद्यालयीन ध्वज' के निर्माण पर विचार करना।
निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 'विश्वविद्यालयीन ध्वज' हेतु छात्र-छात्राओं के बीच प्रतियोगिता आयोजन कर निर्माण किए जाने का अनुमोदन किया गया।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. गोपनीय मुद्रण के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
टीप : विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा 2025 (मार्च-अप्रैल 2025) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म, जिसको कार्यपरिषद् की 95वीं बैठक दिनांक 25.02.2025 (पूरक विषय सूची क्रमांक-08) में अनुमोदन के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया है के द्वारा उक्त कार्य के संपादन उपरांत राशि रुपए 1,18,09,600/- (रुपए एक करोड़ अठारह लाख नौ हजार छः सौ मात्र) का देयक प्रस्तुत किया गया है, जिसे गोपनीय विभाग द्वारा सत्यापित किया गया है।
अतः संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रुपए रुपए 1,18,09,600/- (रुपए एक करोड़ अठारह लाख नौ हजार छः सौ मात्र) के भुगतान के पूर्व, माननीय कार्यपरिषद् की सक्षम स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

12. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर और केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के मध्य हुए MoU के संबंध में विचार करना।
टीप : MoU के माध्यम से केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेंटर फार इण्डियन नालेज सिस्टम के अन्तर्गत संस्कृत भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स सत्र 2025-26 से प्रारंभ किया जाना है। इस हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा IKS Centre में अपने व्यय भार पर एक संस्कृत शिक्षक भी नियुक्त किया जाना है। प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय: प्रस्तावानुसार MoU की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

13. अतिरिक्त प्रशासनिक दायित्वों के साथ मूल सेवा की निरंतरता में प्रोफेसर पद के अनुरूप वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तों का संरक्षण सुनिश्चित किए जाने हेतु तथा मूल विभाग में शिक्षण एवं शोध कार्य करने की अनुमति प्रदान कर, उनकी शैक्षणिक गतिविधियाँ व प्रोफेसर पद पर अनुभव प्रभावित न हो और विश्वविद्यालय को भी लाभ प्राप्त हो, के संबंध में विचार करना।
टीप: प्रो. अम्बर व्यास, प्रभारी कुलसचिव द्वारा प्राप्त आवेदन के अनुसार उनके द्वारा शासन के आदेश के क्रम में वर्तमान में निर्वाहित किए जा रहे कुलसचिव पद के प्रशासनिक दायित्वों के साथ उनकी मूल नियुक्ति विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी में जिसमें वह प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं, के संबंध में उन्होंने निम्नांकित अनुरोध किया है :-

उनकी मूल सेवा की निरंतरता में प्रोफेसर पद के अनुरूप वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा उनके मूल विभाग में शिक्षण एवं शोध कार्य करने की मूलभूत प्रकृति/सुविधा को यथावत् रखा जाए। जिससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियाँ एवं प्रोफेसर पद का अनुभव प्रभावित न हो और विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को भी उनकी शैक्षणिक एवं शोध क्षमताओं का लाभ प्राप्त हो सके।

निर्णय: शासन द्वारा प्रदान किए गये कुलसचिव पदभार के दायित्वों के पूर्ण निर्वहन की शर्त के साथ प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 के बिंदु क्रमांक 06 में B.Ed. Special (M.R.) एवं M.E. Special (M.R.) के स्थान पर पाठ्यक्रम के परिवर्तित नाम B.Ed. Speical Education (ID)/(LD) एवं M.Ed. Special Education (ID)/(LD) तथा B.Voc. के उपाधि के नवीन प्रारूप की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: छात्र-छात्राओं को B.Ed. Special (M.R.) एवं M.E. Special (M.R.) की उपाधि प्रदान की जा रही है। चूंकि पाठ्यक्रम का नाम परिवर्तित कर B.Ed. Speical Education (ID)/(LD) किया गया है। इसी प्रकार से B.Voc. in Renewable Energy Tech. and Management, B.Voc in Interior Designing एवं M.Ed. Special Education (ID)/(LD) की उपाधि प्रोफार्मा भी उपलब्ध नहीं है व इन उपाधियों हेतु छात्र-छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

B.Ed. Special (M.R.) एवं M.E. Special (M.R.) के स्थान पर पाठ्यक्रम के परिवर्तित नाम B.Ed. Speical Education (ID)/(LD) एवं M.Ed. Special Education (ID)/(LD) तथा B.Voc. के उपाधि के नवीन प्रारूप विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

02. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 के बिंदु क्रमांक 08 में प्रस्तावित नवीन अध्यादेश एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

टीप : गृह-विज्ञान अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 18.07.2025 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

“एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश को सर्वसम्मति से अनुशंसा की गई।”

गृह-विज्ञान अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 18.07.2025 की कार्यवृत्त संलग्न कर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: प्रस्तावित नवीन अध्यादेश क्र. 216 एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

03. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 के बिंदु क्रमांक 11 में मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक WPC No. 2395/2022 एवं 2431/2022 के परिप्रेक्ष्य में महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर द्वारा सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में B.Voc. Interior Designing पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम के संबंध में गठित ‘उच्च-स्तरीय समिति’ की समीक्षात्मक अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप : मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन प्रकरण क्रमांक WPC No. 2395/2022 एवं 2431/2022 के परिप्रेक्ष्य में महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर द्वारा सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में B.Voc. Interior Designing पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम के संबंध में गठित ‘उच्च-स्तरीय समिति’ की समीक्षात्मक अनुशंसा निम्नवत् है -

विश्वविद्यालय द्वारा गठित 'उच्च-स्तरीय समिति' ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर से उपलब्ध कराये गए अभिलेखों तथा प्रवेशित-छात्रों से संबंधित दस्तावेजों, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं महाविद्यालय के प्रतिनिधियों के कथनों तथा न्यायालय के निर्देशों का सम्यक परीक्षण/अवलोकन किया। तदक्रम में समिति द्वारा निम्नांकित तथ्यों का विशेष रूप से संज्ञान ग्रहण किया गया -

1. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर को विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 05-08-2017 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय पत्रांक 4633/अका./सम्बद्धता/2017 दिनांक 08/08/2017 द्वारा 'B.Voc. (New Course) पाठ्यक्रम' की सत्र 2017-18 से 40 छात्र संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी।
2. प्रश्नगत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 09-03-2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16-03-2021 में अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय पत्रांक 1630/अका./सम्बद्धता/2021 दिनांक 23/03/2021 द्वारा 'B.Voc. (New Course) द्वितीय वर्ष' के लिए सत्र 2018-19 से 40 छात्र संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी।
3. प्रश्नगत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 25-03-2022 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25-03-2022 में अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय पत्रांक 1449/अका./सम्बद्धता/2022 दिनांक 05/04/2022 द्वारा 'B.Voc. (New Course) तृतीय वर्ष' के लिए सत्र 2019-20 से 40 छात्र संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी।
4. उपरोक्त के क्रम में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा B.Voc. (New Course) की अस्थायी पाठ्यक्रम-सम्बद्धता के अंतर्गत B.Voc.-Interior Design पाठ्यक्रम का संचालन 'अध्यादेश-188' (अधिसूचना क्रमांक 4872/अका./2017 दिनांक 08-09-2017) की प्रभावशीलता के सापेक्ष सत्र 2017-18 से प्रारम्भ किया गया।
5. विश्वविद्यालय अध्यादेश-188 के क्रम में विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 07-08-2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12-10-2021 में अनुमोदन उपरान्त सम्बंधित विषय, B.Voc.-Interior Design and New Program, के विनिमय क्रमांक-198 को विश्वविद्यालय पत्रांक 308/अका./2021 दिनांक 28-10-2021 द्वारा अधिसूचित किया गया।
6. उपरोक्त के क्रम में प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा B.Voc.-Interior Design पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र 2017-18 में कुल 07 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इन विद्यार्थियों की परीक्षा से सम्बंधित विवरण निम्नवत है -
 - (क) प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर - छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा में सम्मिलित हुए। छात्रों को परीक्षा उपरान्त अंकपत्र/अंकसूची प्रदान की गयी किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 546/पाठ्यक्रम/ अका./2022 दिनांक 19/04/2022 के क्रम में अंकपत्र/अंकसूची वापसी हेतु कहा गया।
 - (ख) तृतीय सेमेस्टर - छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु छात्रों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया।
 - (ग) चतुर्थ सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
 - (घ) पंचम सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
 - (ङ) षष्ठम सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
7. उपरोक्त के क्रम में प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा B.Voc.-Interior Design पाठ्यक्रम के द्वितीय सत्र 2018-19 में कुल 13 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इन विद्यार्थियों की परीक्षा से सम्बंधित विवरण निम्नवत है -



- (क) प्रथम सेमेस्टर - छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा में सम्मिलित हुए। छात्रों को परीक्षा उपरांत अंकपत्र/अंकसूची प्रदान की गयी किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 546/पाठ्यक्रम/ अका./2022 दिनांक 19/04/2022 के क्रम में अंकपत्र/अंकसूची वापसी हेतु कहा गया।
- (ख) द्वितीय सेमेस्टर - छात्र विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु छात्रों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया।
- (ग) तृतीय सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
- (घ) चतुर्थ सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
- (ङ) पंचम सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
- (च) षष्ठम सेमेस्टर - विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी।
8. विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की बैठक 25-03-2022 की अनुशंसा के क्रम में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25-03-2022 में प्रश्नगत प्रकरण में निम्नांकित निर्णय लिया गया, जिसे पत्रांक 546/पाठ्यक्रम/अका./2022 दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित किया गया -
- (क) इंटीरियर डिजाइनिंग के अध्ययन बोर्ड का गठन विश्वविद्यालय में नहीं है। अतः इंटीरियर डिजाइनिंग के पाठ्यक्रम को गृहविज्ञान अध्ययन मंडल में सम्मिलित किया जाए।
- (ख) बी.वॉक इंटीरियर डिजाइनिंग के पाठ्यक्रम का निर्माण गृहविज्ञान अध्ययन मंडल से कराया जाए। विनियम क्रमांक 198 सत्र 2021-22 से प्रभावशील है, अतः विनियम क्रमांक 198 से निर्मित पाठ्यक्रम 2021-22 से प्रभावशील होगा।
- (ग) सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रवेशित छात्रों को नये विनियम क्रमांक 198 में समाहित कर परीक्षा आयोजित की जाए।
- (घ) सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में प्रवेशित छात्रों के प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुए छात्र-हित में प्रत्येक तीन-तीन माह में परीक्षा आयोजित की जाए। भविष्य में इसे उदाहरण न माना जाए।
- (ङ) सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकसूची विश्वविद्यालय में जमा की जाए।
9. विश्वविद्यालय पत्रांक 546/पाठ्यक्रम/अका./2022 दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित उपरोक्त निर्णय के अनुपालन के क्रम में सत्र 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के समस्त छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परीक्षा का फार्म भरते हुए आवश्यक शुल्क जमा किया।
10. यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक रूप से समस्त छात्र दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित निर्णय से सहमत थे, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें प्रवेश पत्र जारी किये जाने के उपरांत भी सत्र 2017-18 तथा 2018-19 से सम्बंधित छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुये और न्याय की याचना के साथ मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक WPC No. 2395 of 2022 एवं 2431 of 2022 दायर कर दी, जो वर्तमान में मा. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
11. दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र-हित की दृष्टि से आयोजित परीक्षा में मात्र सत्र 2019-20 के छात्र ही सम्मिलित हुए, जिनके सन्दर्भ में पाठ्यक्रम पूर्णता के सुनिश्चयन के साथ तीन-तीन माह में परीक्षा का आयोजन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा समस्त सेमेस्ट्रों का परीक्षा परिणाम जारी कर अंकपत्र/अंकसूची प्रदान कर दी गयी है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रदत्त उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत तथा मा. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की याचिका क्रमांक WPC No. 2395 of 2022 एवं 2431 of 2022 के क्रम में सत्र 2017-18 तथा 2018-19 के प्रभावित छात्रों के लिए छात्र-हित एवं विधिसम्मत

समाधान की दृष्टि से समिति अनुशंसायुक्त निम्नलिखित प्रस्ताव मा. कुलपति महोदय के माध्यम से विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् को प्रस्तुत करती है।

1. यह स्पष्ट है कि यदि सत्र 2017-18 तथा 2018-19 से सम्बंधित छात्र भी दिनांक 19/04/2022 द्वारा अधिसूचित निर्णय के क्रम में यदि सत्र 2019-20 के छात्रों की तरह निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते तो वर्तमान स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तथापि छात्रहित में अनुशंसा निम्न बिंदुओं में प्रस्तावित है-
2. जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित कर अंकपत्र/अंकसूची निर्गत की जा चुकी हैं, उन अंकपत्रों/अंकसूचियों को पूर्णतः वैध एवं विधिसम्मत मानते हुए छात्र-हित में स्वीकार किया जाए।
3. जिन परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, किंतु उनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, उनके परिणाम शीघ्र घोषित किए जाएं।
4. सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में प्रवेशित छात्रों की शेष कक्षाओं, जिनकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, उनके संबंध में समिति का अभिमत है कि सम्बन्धित छात्रों को एक बार पुनः अवसर प्रदान किया जाए, जिससे वे शेष परीक्षा में सम्मिलित हो सकें तथा उनका शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके।
5. अतः विश्वविद्यालय प्रत्येक 3 माह में विशेष परीक्षा सत्र आयोजित करे और परीक्षा उपरान्त उनका परिणाम घोषित कर विधिवत प्रमाणपत्र निर्गत किया जाए। यह अनुशंसा केवल उन छात्रों पर ही लागू मानी जाये, जो सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में प्रवेशित हैं, तथा जिनके प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन हैं।
6. समिति यह भी स्पष्ट करती है कि यह अभिमत न्यायिक-निर्देश एवं विशेष परिस्थितियों में छात्र-हित को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है, अतः इसे अन्य पाठ्यक्रमों, सत्रों या मामलों में किसी भी दशा में दृष्टांत (precedent) के रूप में मान्य नहीं किया जाए।

निर्णय: उपरोक्त प्रकरण में गठित उच्च स्तरिय समिति के प्रस्ताव/अनुशंसा पर विचारोपरान्त अनुशंसा के बिंदु क्रमांक 1 से 6 को मान्य किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

04. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 के बिंदु क्रमांक 14 में पी-एच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन Online लिये जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

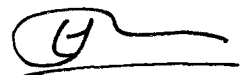
टीप: विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पी-एच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन बाह्य परीक्षा को ऑफलाइन भेजा जाता है एवं अनुशंसा ऑनलाइन/ऑफलाइन प्राप्त होने पर तदनुसार मौखिकी परीक्षा हेतु Online/Offline नियमानुसार अनुमति दी जाती है।

पी-एच.डी. शोध प्रबंध का समय से मूल्यांकन, त्वरित कार्यवाही तथा वित्तीय मित्तव्ययिता के दृष्टिगत बाह्य परीक्षक से मूल्यांकन हेतु सहमति पत्र एवं शोध प्रबंध को बाह्य परीक्षक को Online भेजा जाना एवं Online मूल्यांकन report प्राप्त किया जाना तथा बाह्य परीक्षा भी पूर्णतः Online लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय: पी-एच.डी. शोध प्रबंध के मूल्यांकन के साथ-साथ मौखिकी परीक्षा को Online माध्यम से सम्पन्न कराए जाने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए प्रक्रिया निर्धारण हेतु समिति का गठन निम्नानुसार किया गया -

- (1) प्रो. रीता वेणुगोपाल, संकायाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा संकाय
- (2) प्रो. संजय कुमार, संकायाध्यक्ष, टेक्नालॉजी संकाय
- (3) प्रो. जी.के. देशमुख, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय
- (4) श्री के.एस. कश्यप, सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग

उपरोक्तानुसार गठित समिति की संस्तुतियाँ/सुझाव आगामी विद्यापरिषद्/स्थायी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।



05. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 के बिंदु क्रमांक 15 में जोन एवं राष्ट्रीय स्तर में सम्मिलित होने वाले विश्वविद्यालयीन युवा-उत्सव प्रतिभागियों को स्पोर्ट खिलाड़ियों के साथ परीक्षा में सम्मिलित करने की स्वीकृति के अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: भारतीय विश्वविद्यालयीन संघ (AIU) नई दिल्ली के दिशा-निर्देश अनुसार प्रतिवर्ष पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालयीन युवा-उत्सव चयन स्पर्धा आयोजित कर चयनित प्रतिभागी को अंतर विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव जोन स्तर में तथा जोन स्तर में चयनित प्रतिभागी को राष्ट्रीय युवा-उत्सव में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त होता है। जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-छात्राओं की यह सहभागिता सांस्कृतिक कला एवं साहित्यिक क्षेत्र में विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करती है।

संचालक, शारीरिक शिक्षा, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के माध्यम से अंतर-महाविद्यालयीन/सेक्टर/राज्य स्तरीय/भारतीय विश्वविद्यालयीन संघ (AIU) नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों (विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा समय सारणी एवं खेल समय सारणी एक साथ होने के कारण) के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से आयोजित होने वाली परीक्षा में युवा-उत्सव (जोन एवं राष्ट्रीय स्तर में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों को) के प्रतिभागियों को भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: भारतीय विश्वविद्यालयीन संघ (AIU) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से आयोजित होने वाली परीक्षा में AIU से मान्यता प्राप्त युवा-उत्सव में (जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर के) विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

06. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 के बिंदु क्रमांक 16 में अंकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) में संशोधन से संबंधित नियमों की व्याख्या हेतु गठित समिति की दिनांक 18.07.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त एवं Tabulation Register (T.R.) में संशोधन/परिवर्धन हेतु नियमावली की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: अंकसूची एवं टेबुलेशन रिकार्ड (T.R.) में संशोधन से संबंधित नियमों की व्याख्या हेतु गठित समिति की दिनांक 18.07.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त एवं Tabulation Register (T.R.) में संशोधन/परिवर्धन हेतु नियमावली की प्रति संलग्न है।

निर्णय: व्यापक चर्चा के उपरान्त स्थाई समिति द्वारा प्रस्तावित नियमावली को आवश्यक संशोधन की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

07. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 के बिंदु क्रमांक 18 में अध्यादेश क्र. 46 DOCTOR OF LETTERS/SCIENCE/LAWS में संशोधन की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

टीप: विश्वविद्यालय में शोध कार्य हेतु पी-एच. डी. उपाधि पंजीयन के साथ ही डी. लिट् / डी. एस-सी. शोध उपाधि हेतु भी विद्यार्थियों का पंजीयन सुदीर्घ काल से हो रहा है। अध्यादेश - 45 के अनुसार पी-एच.डी. तथा अध्यादेश - 46 के अनुसार डी.लिट्. / डी.एस-सी. उपाधि हेतु पंजीयन होता रहा है। पी-एच. डी. संबंधी अध्यादेश - 45 में यूजी.सी. के निर्देशानुसार पूर्व में यूजी.सी. रेगुलेशन - 2009, तत्पश्चात यूजी.सी. रेगुलेशन - 2016 के अनुसार संशोधन हुआ तथा वर्तमान में यूजी.सी. रेगुलेशन - 2022 के अनुसार संशोधित अध्यादेश - 45 प्रचलन में है, किन्तु डी.लिट्. / डी.एस-सी. संबंधी अध्यादेश - 46 में आरम्भिक समय से आज तक कोई परिवर्तन / संशोधन नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डी.लिट्./डी.एस.सी. के संबंध में किसी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया जाता

है। अतः NEP –2020 लागू होने के उपरान्त वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत डी.लिट./डी.एस-सी. संबंधी अध्यादेश- 46 DOCTOR OF LETTERS/SCIENCE/LAWS में संशोधन के संबंध में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय: अध्यादेश क्र. 46 DOCTOR OF LETTERS/SCIENCE/LAWS में संशोधन के लिए समिति गठित किए जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया, जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे –

- (1) प्रो. कल्लोल कुमार घोष, प्राध्यापक, रसायन अध्ययनशाला
- (2) प्रो. निनाद बोधनकर, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
- (3) प्रो. राजीव चौधरी, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला
- (4) श्री सनत कुमार वर्मा, उप-कुलसचिव, अकादमिक विभाग

08. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.07.2025 के अध्यक्ष की अनुमति से बिंदु क्रमांक 01 में अध्यादेश क्रमांक 129 Diploma in Computer Application (D.C.A.) के संशोधन की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

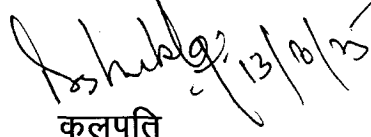
टीप : संगणक विज्ञान अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 05.05.2025 के निर्णयानुसार अध्यादेश क्रमांक 129 Diploma in Computer Application (D.C.A.) में संशोधन हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

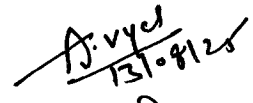
निर्णय: प्रस्तावानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

09. अध्यक्ष की अनुमति से कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. मेघेश तिवारी द्वारा महाविद्यालयों के शासी निकायों में अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत किया।

कार्यपरिषद् ने उक्त प्रस्ताव का संज्ञान ग्रहण किया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 1511 / अका./का.प./2025

रायपुर, दिनांक 13 /08/2025

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)